RNINO. DDHIN/ 2021/81605 संघ प्रदेश दमण से प्रकाशित एवं दानह तथा वापी-वलसाड में वितरीत होने वाला एकमात्र हिंदी साप्ताहिक DARE TO SHARE

डेयर टू शेयर

www.daremedia.in

दमण से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक 'डेयर टू शेयर' में प्रेस नोट, विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9898109815/8000360011 dare.media24x7@gmail.com

मालिक/प्रकाशक : संध्या चौहान II संपादक : मनोज रावल II उप संपादक : तुषार चौहान II वर्ष : 4 II अंक : 2 II दमण, गुरुवार, 8 से 14 अगस्त 2024 II पृष्ठ : 4 II मुल्य 4 रुपए E mail: dare.media24x7@gmail.com

बहरी सरकार के गूंगे नुमाइंदे ध्यान दे

सेफ्टी किट के बिना जान हथेली पर लेकर भवन एवं ऊंची बिल्डिंगें बनाते है मजदूर, भवन के निर्माण कार्य में बिना सेफ्टी किट के काम करने मजबूरी में लगे है मजदूर, बिल्डरों की चलती है मनमानी, हादसे के बाद कर देते हैं लीपापोती, पुलिस-प्रशासन और अन्य विभाग चादर तानकर सोया हुआ रहता है, बिना जगह देखे ही मिल जाती है फायर एनओसी, पार्किंग अनुमति, प्लान पास, ऐसे बिल्डिगों पर तो जड़ देना चाहिए ताला

डेयर टू शेयर (संवाददाता)

वापी। चकाचौंद बिल्डिंगें बनाने वाले मजदूर खुद तो झोपडी में रहते है। अगर इमारतें कमर्शियल हो या रेजीडेंशियल बनाते ये सभी एक गरीब मजदूर है जिनके पास खुद की छत तक नहीं होती है। वो मजदूर जो रात दिन मेहनत करता है और वही बिल्डर लोग इन मजदूर को मजबूर कर देते है अपनी जान से खेलने के लिए। बगैर हेलमेट, जूता और सेफ्टी बेल्ट के मजदूर भवन एवं ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों को बनाते है। बाल मजदूरी भी करवाते है। इन मजदूरों के पास अपनी खुद की छत नहीं है पर दूसरों के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर ये आशियाना बनाते है। इन कामों में बिल्डिरों की मनमानी साफ नजर आती है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर अधिकारी भी चुप्पी साधे रहते है। ऐसा नहीं है कि सरकारी अधिकारियों को इसकी भनक नहीं होती होगी लेकिन चादर फैलाकर पैर पसार सोते रहते है। और ये बिल्डर नियम को ताक पर रखकर मजदूरों से काम करवाते है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। क्या करे इनकों भी मजदूरी करना है इसलिए बिना सुरक्षा संसाधनों के ही काम करते है।

जिम्मेदारों की ओर नजर ही नहीं पड़ती है। जब कभी-कभार कोई अधिकारी आ जाता है तो बिल्डर बाते देते है कि सारे काम नियमानुसार हो रहे हैं। लेकिन दीवार और छत के ऊपर काम कर रहे मजदूर बिना सेफ्टी किट के ही काम कर रहे होते है। यह सब कुछ बिल्डर की मौजूदगी में हो रहा होता है।

मामले की जांच करवाऊंगा

अगर मजूदरों से बिना सेफ्टी किट के काम करवाया जा रहा है तो यह गलत है। अगर ऐसा हो रहा है जिम्मेदार अधिकारी कहता है कि जांच करवाउंगा।

मजदूरों से थोडी बहुत मजदूरी में ये बिल्डर बडी-बडी बिल्डिंग खडी करवाकर करोड़ कमाते है और बड़ी बंगला और गाड़ी में घूमते है। लेकिन कभी बिल्डर इन मजदूरों के बारे में नहीं सोचता है। बिल्डरों के लिए इनकी जान की कोई कीमत नहीं होती है।

इन बिल्डरों को फायर एनओसी मिल जाती है, बिल्डिंग का प्लान पास हो जाता है, पार्किंग एवं बेसमेंट समेत की पूरी प्रक्रिया जल्दी ही हो जाती है बिना मुयाना किए अधिकारी इन्हें बिल्डिंग बनाने की परमीशन दे देते है। अब फिर खेल शुरू हो जाता है। कार्रवाई के मामले में पुलिस और प्रशासन की बात करें तो दोनों महकमे चादर तानकर सोए हुए रहते हैं।

बिल्डर किसी तरह के मानकों का पालन नहीं करते है। अग्निशमन विभाग के मानकों पर ये खरे नहीं उतरते, ऐसे में पार्किंग एरिया में वाहनों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में फायर विभाग सवालिया निशान उठना लाजमी है।

बिल्डर बिल्डिंग की परमीशन तो करा लेते है लेकिन आग की घटनाएं रोकने की कोई व्यवस्था नहीं करते है। यहां अग्निशमन यंत्र तक नहीं है। बालू व पानी का भी इंतजाम नहीं है।

पार्किंग स्थलों की बात करे तो बस चहारदीवारी महज पांच से छह फीट तक होती है। ऐसे में वाहनों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। मनमानी का आलम यह है कि पार्किंग स्थलों पर एक ही गेट लगाया गया जाता है। किसी तरह की घटना होने पर वाहन सुरक्षित नहीं निकाले जा सकते।

बल्कि नियम तो यह है कि फायर एनओसी लेने पर मानकों की जांच होती है। जिसके बाद आग से निपटने के इंतजाम परखे जाते हैं। सभी सुविधाएं होने के बाद ही फायर एनओसी दी जाती है। लेकिन अधिकारी बिना किसी जांच-पडताल के फायर एनओसी दे देते है। जो जनता के जान के साथ सरेआम खिलवाड है। खुदा ना खासता कोई आगजनी जैसा हादसा हो जाएं और दमकल गाडियां आने में देर लगे तो ऐसे में बडी घटना होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

पार्किंग एरिया में किसी तरह की सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते है। आग लगने की स्थिति में भीषण हादसा होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। कारण एक के साथ खड़े अन्य वाहनों को भी आग अपनी चपेट में ले सकती है। इन बिल्डरों को मानकों से कोई मतलब नहीं है।

सजा का है प्रावधानः भवनों में श्रम कानून और सुरक्षा नियम

भवनों में श्रम कानून और सुरक्षा नियमों को ताक पर काम कर रहे मजदूरों के लिए कानून में कई नियम-कानून है। अगर मजदूरों से बिना हेलमेट, जूता, दस्ताना और बिना सेफ्टी बेल्ट के ही करीब 20 से 40 फीट ऊंचाई पर काम करवाया जा रहा है। जिससे इन गरीब असहाय मजदूरों के साथ कभी भी किसी तरह की अनहोनी घटना के घटित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह काम करवाने वाले बिल्डर पर सजा का प्रावधान है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसकी ना जांच करते हैं ना कार्रवाई, इसके कारण बिल्डरों की मनमानी चलती है।

कैसा है ये सिस्टम

संबंधित अधिकारी बिल्डिंग के मापदंडों को देखे बिना फायर सेफ्टी एनओसी, के पार्किंग की जगह देखे बिना पार्किंग एरिया की अनुमति और बिना जगह देखे ही इन बिल्डरों का प्लान भी पास हो जाता है। अपनी जेब भरने के लिए अधिकारी बिना सोचे समझे प्लान पास कर देते है। इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पडता है। जब तक कोई हादसा ना हो तो प्रशासन की नजर भी नहीं पड़ती है। नहीं कोई नगर पालिका अधिकारी अग्निशमन अधिकारी, नगर नियोजन अधिकारी उक्त बिल्डिंग स्थल का विजिट नहीं करता है।

पुलिस की कार्यशैली देखिए!

अब इन मामलों में पुलिस की कार्यशैली देखिए! नीचे गिरकर मजदूर की मौत हो जाती है तो पुलिस बिल्डर से मोटी रकम देकर मामले को दबा देती है। वहीं जान गंवाने वाले मजदूर के परिजनों पुलिस थानों के चक्कर काटते रहते है उनको जबाव मिलता है कि जांच हो रही है। लेकिन बात कुछ और ही होती है। मौत का कारण बिना सुरक्षा उपकरण के मजदूर काम करते है।

खामियां आने पर भी नहीं होती है कोई कार्यवाही

कंस्ट्रक्शन का काम करते समय अगर कोई मजदूर चोटिल हो जाता है तो बिल्डर आनन-फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा देते है। पुलिस खानापूर्ति के लिए जाती है लेकिन बिल्डर के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करती है। ऐसे में उस गरीब मजदूर के परिवार की मदद करने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे मामलों में प्रशासन और पुलिस कुछ भी बोलने से बचते नजर आते है।

सनसनीखेज : दलवाडा की गौशाला में घटित हुई बडी दर्दनाक घटना, एक साथ 56 गौमाताओं ने तोडा दम

- फैक्ट्री से समोसा बनाने वाले मैदा की पटटी खाने से हुआ यह हादसा, साजिश या किसी मंशा के तहत किया गया यह क्रूर कृत्य, दोषियों को मिलनी चाहिए सख्त सजा, एक साथ 50 से अधिक गौमाताओं की मौत से दमण में मची खलबली, गौरक्षा दमण मंच समेत गौ प्रेमियों की टिकी निगाहें प्रशासनिक अधिकारियों की जांच-पडताल पर

डेयर टू शेयर (संवाददाता)

दमण। दलवाड़ा गौशाला में एक साथ कई गौ वंश का अकाल स्वर्गवास हुआ है। इस घटना के बाद से पूरे दमण में खलबली मच गई है। दमण गौरक्षा मंच में इस घटना के बाद भारी आक्रोश है। बता दें कि दमण गौ रक्षा मंच इस गौशाला का संचालन नहीं करता।

इस दुखद घटना का जिम्मेदार कौन है ? आज दमण में जो 56 से अधिक गायों की मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है ? जबकि हिंदू धर्म को गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। एक तरफ हिंदू संगठन गाय को राष्ट्रीय स्तर पर रखने की बात करता है। तो ऐसा क्रूर कृत्य करने किसने किया यह जांच का विषय है। ऐसा बताया जा रहा है कि किसी फैक्टरी से समोसा बनाने वाली मैदा की पटटी लाकर गाय को खिलाई गई जिसके कारण गौमाता उसे हजम नहीं कर पायी और मौत हो गई।

आखिर समोसा बनाने वाली मैदा की पटटी कौन लाया और किस मकसद से लाया था ? क्या यह किसी साजिश के तहत किया गया। प्रशासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को इस पर गंभीरता दिखाते हुए जांच करना चाहिए, क्योंकि एक या दो नहीं बल्कि 56से ज्यादा गौमाताओं ने दम तोडा है। 8 गौमाताओं का टीटमेंट चल रहा है। सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और किसी को नहीं माफ किया जाना चाहिए।

हिंदू संगठन ने प्रशासन के आला अधिकारियों से बात की है कि जो भी फैक्ट्री से समोसा बनाने वाले पटटी लाया हो उसका पता लगाना चाहिए, उसकी गायों को मैदा की पटटी खिलाने के पीछे क्या मंशा थी। प्रदेशस्तर का मामला नहीं बल्कि राष्टीय स्तर का मामला है। इस मामले में गौरक्षा दमण मंच समेत गौ प्रेमियों की निगाहें प्रशासनिक अधिकारियों की जांच-पडताल पर टिकी है।

सांसद उमेश पटेल ने 2022 में छोड़ा संचालन

दमन दीव सांसद उमेश पटेल ने एक साथ इतनी गायों के मरने पर दुख व्यक्त करते हुए जांच की मांग की है। साथ ही उमेश पटेल ने एक वीडियो जाहिर कर बताया कि पूर्व में यह गौशाला वो खुद संचालित करते थे, लेकिन 2022 में उन्होंने इसे प्रशासन को सौप दिया था। उस दौरान उमेश पटेल सांसद नहीं थे। उनके ऊपर गौशाला सरकारी जमीन पर बनाने का आरोप लगाया

बीडीओ की शिकायत पर गायों की देखरेख करने वाले दो जनों पर केस दर्ज

जिला पंचायत खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) मिहिर जोशी ने जलाराम गौशाला में 56 गायों की मौत के मामले में दो लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी भी कई बीमार गायों का इलाज चल रहा है। पशु चिकित्सक डॉ विजय परमार एवं डॉ जनक सोलंकी ने गायों की जांच की। जांच में पता चला कि गौशाला में 210 गायों में से 56 की मौत हो गई थी। मृत गायों के पोस्टमार्टम में पता चला कि एक्यूट एसिडोसिस के कारण मौत हुई है। यह आटा खाने से होता है। गौशाला में गायों की देखरेख का काम बालम नारण पटेल और कमलेश गोस्वामी कर रहे थे इन दोनों के खिलाफ बीडीओ की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। समोसा की पट्टी बनाने वाली कंपनी पर हाल कोई जांच हो रही है या नहीं ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही ना ही कंपनी का नाम सामने आ रहा है।

गौशाला प्रबंधन में नहीं है भूमिका

दूसरी ओर इस घटना के बाद दमण जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष मोहन ने कहा है कि जय जलाराम पीड़ा ग्रस्त गौशाला के प्रबंधन में जिला पंचायत या मरवड पंचायत की कोई भूमिका नहीं हैं। उन्होने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस घटना के बाद ग्राम पंचायत ने गौशाला के कामकाज को अपने हाथ में ले लिया है। प्रशासन ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए दो लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया है और गायों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस को दी गई है।

संमिश्र

डैयर टू शैयर | दमण, गुरुवार, 8 से 14 अगस्त 2024 | E mail: dare.media24x7@gmail.com

संपादकीय

पडोसी देशों में भारत-विरोधी सरकारों के गठन की चिन्ता

हसीना का जाना या उनका निष्कासन चीन एवं पाकिस्तान की साजिशों का परिणाम है, जो भारत के लिए कई मायनों में झटका है। इसका यह मतलब भी है कि भारत ने पड़ोस में अपने इकलौते स्थिर साथी को अब खो दिया है।

भारत के पडोसी देशों में अस्थिरता एवं अराजकता का माहौल चिन्ताजनक है। बांग्लादेश के साथ-साथ भारत के पड़ोसी मुल्कों में हुए हालिया अराजक, हिंसक एवं अस्थिरता के घटनाक्रमों से एक तस्वीर बनती है एवं एक सन्देश उभर कर आता है, वह है, चीनी के द्वारा भारत विरोधी सरकारों के गठन की साजिश। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल और तख्तापलट के बाद अस्तित्व में आई सरकारों ने भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हालात पैदा कर दिए हैं। भारत को सतर्क एवं सावधानी बरतने की जरूरत है। अब सवाल ये उठते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में हो रही इस अराजकता एवं अस्थिरता के कारण क्या हैं? यह सिर्फ एक संयोग है या फिर साजिश? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? क्या पाकिस्तान भी इसके लिये जिम्मेदार है? पड़ोसी देशों में पनप रही इस राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या असर होगा?

इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन ने पाकिस्तानी तत्वों के जरिये शेख हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दी। निश्चित ही शेख हसीना की छवि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उनकी निंदा करने में मुखर हो उठा। अमेरिका उनकी नीतियों से पहले से ही खफा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उसकी नसीहत सुनने को तैयार नहीं थीं। उनका सत्ता से बाहर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, बांग्लादेश में एक अर्से से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अभी भी हिंदुओं और उनके मंदिरों के साथ भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। लगभग ऐसी ही स्थितियां चीन और पाकिस्तान ने मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका में खड़ी की है।

हसीना का जाना या उनका निष्कासन चीन एवं पाकिस्तान की साजिशों का परिणाम है, जो भारत के लिए कई मायनों में झटका है। इसका यह मतलब भी है कि भारत ने पड़ोस में अपने इकलौते स्थिर साथी को अब खो दिया है। **भारत अपने चारों ओर से बदहाल, कट्टरवादी, अराजक एवं अस्थिर पड़ोसियों से घिरा है। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, जिस पर कट्टरपंथी तालिबान का राज है। भारत-विरोधी समूहों को समर्थन देने का उसका एक काला इतिहास रहा है। पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन देश ही है। एक बेहद अशांत पड़ोस, जो कट्टरपंथियों, सैन्य शासकों, दिवालिया अर्थव्यवस्थाओं और जलवायु-परिवर्तन के कारण डूबते देशों में अग्रणी है। अपनी आर्थिक बदहाली के बावजूद वह भारत विरोधी षडयंत्र रचता ही रहता है। वह राजनीतिक अस्थिरता का पर्याय है। विडम्बना देखिये कि पाकिस्तान के एक भी वजीरे-आजम ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हमेशा वहां की फौज ने उनके कार्यकाल में टांग डाली है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका 2022 में दिवालिया हो गया था। वहां से सामने आई तस्वीरें एवं घटनाक्रम आज के बांग्लादेश से काफी मिलती-जुलती रही हैं। वहां भी प्रदर्शनकारियों ने बड़ा जनआंदोलन किया और जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिस कारण राष्ट्रपति गोटाबाया को देश छोड़कर भागना पड़ा था। आर्थिक दिवालियेपन का शिकार यह देश चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। श्रीलंका के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चीन का था, जिस कारण चीन ने यहां के हंबनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। हालात यह हो गए थे कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था।**

मालदीव एक समय भारत का सहयोगी हुआ करता था। वहां की अर्थव्यवस्था चीन और भारत पर निर्भर है। हालांकि, मालदीव की भारत से नजदीकी हमेशा चीन को खटकती थी, जिस कारण उसने इस देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाया। धीरे-धीरे इस देश की माली हालत बुरी होने लगी, जिसके बाद यहां चीन समर्थक और इंडिया आउट का नारा देने वाले मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनी। पाकिस्तान एवं चीन के दबाव में उनके नए राष्ट्रपति के सुर बदले हुए हैं। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने हुए हैं। मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले चीन का ही दौरा किया था और इसके बाद उन्होंने कई भारत विरोधी फैसले किए, जिसमें मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी भी शामिल थी। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने हुए हैं।

नेपाल बीते कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता के दौरे से गुजर रहा है। हाल ही में यहां एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रो-भारत माने जाने वाली प्रचंड सरकार सत्ता से बाहर हो गई। अब यहां चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की सरकार है। ओली इससे पहले 2015-16 में नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उस समय भारत और नेपाल के संबंध काफी तनावपूर्ण रहे थे। नेपाल में गत 16 वर्षों में 14 सरकारें बदल चुकी हैं। हालात इतने बदहाल हैं कि वहां पर कुछ लोग राजशाही को फिर से बहाल करना चाहते हैं। नेपाल में भी चीन ने जाल बिछा रखा है। चीन विस्तारवादी, अलोकतांत्रिक और अपने आस-पड़ोस के देशों के साथ धौंस-डपट करने वाला देश है। वह भारत के भूखंडों पर अपनी मिल्कियत जताता रहता है। भूटान में घरेलू राजनीति स्थिर है, लेकिन वह चीन के साथ सीमा-समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता है, और यह भारत के लिए चिंता का बड़ा कारण है।

भारतीय उपमहाद्वीप के मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को दुनिया चुपचाप सब देख रही है, वहीं भारत इसके लिए खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की घटनाओं का उस पर सीधा असर होगा। भारत शांति कायम रखने एवं पडोसी देशों से मित्रता कायम रखने के अपने संकल्पों एवं रणनीतियों के लिए इन देशों पर भरोसा नहीं कर सकता। हमारे इर्द-गिर्द मची उथलपुथल, अस्थिरता एवं अराजकता हमारे वैश्विक एजेंडे को भी बाधित करती है। भारत की आबादी 1.4 अरब है। उसके सभी पड़ोसियों की कुल आबादी 50 करोड़ है।

बांग्लादेश के हालात से बहुत संतर्क रहना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक के बावजूद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफे पर अड़े रहे। 14 जुलाई को बतौर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था, स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि क्या आरक्षण का लाभ रजाकारों के पोते-पोतियों को मिलेगा।

बांग्लादेश में महीनों से सुलग रही आरक्षण और सरकार विरोधी चिंगारी सोमवार को भीषण आग के रूप में फूटी। 300 लोगों की मौत के बाद सेना भी उग्र भीड़ को संभाल नहीं पाई। नतीजतन करीब डेढ़ दशक से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर देश से भागना पड़ा है। शेख हसीना भागकर फिलहाल भारत आई हैं। सूत्रों का कहना है कि शेख हसीना लंदन जाने की तैयारी कर रही हैं। शेख हसीना ने इंग्लैंड की सरकार से शरण मांगी है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन जारी है। अब प्रदर्शनकारियों ने देश के चीफ ऑफ जस्टिस के घर में घुसकर तोड़-फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों ने घर में मौजूद कार, फर्नीचर के साथ घर का सारा समान लूट ले गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को ढाका में इंडिया कल्चर सेंटर पर हमला बोला। साथ ही काली व इस्कॉन समेत देशभर में कम से कम चार मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक डरे और सहमें हैं। वहां क्या हालात बनेंगे? वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होगी, इस पर भारत को नजर रखनी होगी। ये भी देखना है कि सरकार कैसी बनता है? उसका भारत के प्रति नजरिया कैसा होगा? नई सरकार कहीं इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा तो नही देगी। उसका रूख पाकिस्तान और चीन संमर्थक तो नहीं होगा? भारत को अपने देश की सीमा को पूरी तरह बंद रखना होगा, ताकि वहां के हालात से डरे नागरिक अपने भारत में न आ सकें।

1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों के परिवारों को सरकारी नौकरियों में दिए जा रहे आरक्षण को खत्म करने की मांग के साथ पिछले महीने विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर पहले ही अंतरिम रोक लगा दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदर्शनकारी आखिर फिर से इतने हिंसक होकर सड़कों पर क्यों उतर आए। असल में हिंसा की यह नई लहर तब शुरू हुई जब प्रदर्शनकारियों ने असहयोग का आह्वान किया। इसमें लोगों से कर या बिजली बिल का भुगतान न करने और रविवार को काम पर न आने का आग्रह किया गया। सोमवार को जब कार्यालय, बैंक और कारखाने खुले, तो प्रदर्शनकारियों ने लोगों को काम पर जाने से रोकना शुरू कर दिया। सेना ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने एक दिन पहले लगाए गए कर्फ्यू की परवाह किए बिना ढाका में प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के शाहबाग इलाके में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक अस्पताल बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी पर हमला किया है। प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों व वाहनों में भी आग लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक के बावजूद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफे पर अड़े रहे। 14 जुलाई को बतौर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था, स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि क्या आरक्षण का लाभ रजाकारों के पोते-पोतियों को मिलेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस बयान के बाद, 'तुई के, अमी के रजाकार, रजाकार' के नारे लगाने शुरू कर दिए और हिंसा ज्यादा भड़क गई।

बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा गठित रजाकार क्रूर अर्धसैनिक बल था। रजाकारों ने मुक्ति संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों और आम लोगों के खिलाफ अत्याचार किया। आज भी यह शब्द वहां अपमानजनक माना जाता है। इसका इस्तेमाल देशद्रोहियों और अत्याचारियों के लिए किया जाता है।

बांग्लादेश में उथल-पुथल व तख्तापलट का इतिहास 1975 से शुरू होता है।हसीना के पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के ज्यादातर सदस्यों की हत्या कर दी गई। जनरल जियाउर रहमान ने सत्ता पर कब्जा किया। 1981 गेस्ट हाउस में घुसकर विद्रोहियों ने जियाउर रहमान की हत्या की। हालांकि, सेना का बड़ा तबका वफादार होने से तख्तापलट नाकाम रहा। 1982 रहमान के उत्तराधिकारी अब्दुस सत्तार को हुसैन मुहम्मद इरशाद के नेतृत्व में सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इरशाद राष्ट्रपति बन गए। 2007 सेना प्रमुख ने एक कार्यवाहक सरकार का समर्थन किया, जो 2009 तक सत्ता पर काबिज रही। 2009 अर्धसैनिक बलों का विद्रोह.. में 70 लोगों की हत्या, इनमें से अधिकांश सैन्य अधिकारी थे।2012 सेना ने कहा, शरिया या इस्लामी कानून से प्रेरित तख्तापलट के प्रयास को विफल कर दिया है।

स्पष्टतौर पर बांग्लादेश में सुलग रही हिंसा के केंद्र में आरक्षण है। बांग्लादेश की जनसंख्या17 करोड़ है और देश में लगभग 3.2 करोड़ युवा बेरोजगार हैं।1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल लोगों के वंशजों को मिल रहे आरक्षण को खत्म करने के लिए छात्र मांग कर रहे हैं। इसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल रहे लोगों के वंशजों को 30 फीसदी आरक्षण दिया जाता है। 10 फीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए भी है।

अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर पांच प्रतिशत व विकलांगों को एक फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। पिछड़े जिलों में रहने वालों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता है।बांग्लादेश में बेरोजगारी से परेशान युवक इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं।

बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार, हसीना के रिश्ते में बहनोई हैं। सेना प्रमुख जनरल वकार वहां सबसे अहम चेहरा बनकर सामने आए हैं। उन्होंने ही शेख हसीना के देश छोड़कर जाने और इस्तीफे का एलान किया। 20 दिसंबर, 1985 को बांग्लादेश की सेना में शामिल हुए जनरल वकार की छवि एक बेहद अनुशासित अधिकारी की रही है। जानकारों का मानना है कि हसीना का बांग्लादेश छोड़कर जाना और वकार का कमान संभालना एक सोचा-समझा निर्णय है। शेख हसीना के देश छोडने के बाद देश के सेना प्रमुख ने कहा है कि वो सभी से बातचीत करके देश में अंतरिम सरकार बनवाएंगे! बांग्लादेश में तख्तापलट से पहले सत्तारूढ़ रही आवामी लीग पार्टी ने आरोप लगाया है कि देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन के पीछे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का हाथ है। आवामी लीग के मुताबिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग दिखाती है कि विरोध-प्रदर्शनों के पीछे असल में छात्र नहीं, देश के मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल- बीएनपी और प्रतिबंधित संगठन- जमात-ए-इस्लामी की रणनीति है। इनका मकसद किसी भी तरह से देश की सत्ता हासिल करना है।

बांग्लादेश में देशव्यापी आंदोलन के कारण राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। देश के राष्ट्रपति ने कहा है कि संसद भंग कर अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। राष्ट्रपति ने विपक्षी नेता खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया है। खालिदा जिया विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख हैं और 1991-96 और 2001-06 के दौरान दो बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। राष्ट्रपति बोले- खालिदा जिया की रिहाई के बाद अंतरिम सरकार का गठन होगा।

बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी नेताओं ने सोमवार को छात्रों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद देश में पैदा हुए हालात में किसी को भी लूटने का मौका न मिले, और उनसे अपनी मांगें होने तक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का आग्रह किया।

बांग्लादेश में उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक हुई है। जिसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी के पड़ोसी देश के हालात पर जानकारी दी है। देखना यह है कि बांग्ला देश में अब किसकी सरकार बनती है।उसका भारत के प्रति रूख कैसा होता है? नई सरकार भारत समर्थक होगी या कट्टर इस्लाम का रास्ता स्वीकार कर पाकिस्तान को अपना आका मानेगी।हालाकि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार शेख हसीना के नजदीकी और रिश्ते में बहनोई लगतें हैं। उनसे उम्मीद है कि बांग्ला देश शेख हसीना के पद चिंहों पर चलेगा, किंतु वहां के राष्ट्रपति का रूख अभी देखना होगा।उसी रूख के आधार पर भारत को अपनी नई नीति बनानी होगी।

Waqf की जमीन अब खिसकने वाली है, मोदी ने खेला ऐसा खेल, मुस्लिमों में ही पड़ गई फूट

क्या वक्फ बोर्ड में तब्दिली का असर मुस्लिम धर्म स्थलों के स्टेटस पर पड़ सकता है। भारत में रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद सबसे बड़ा भू-स्वामित्व वक्फ बोर्ड ही है। सबसे ज्यादा जमीन उन्हीं के पास है।

सियासी गलियारों में बीते एक हफ्ते से इस बात की सुगबुगाहट तेज हो चली थी कि सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ बड़ा करने वाली है। कहा जा रहा था कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर नया बिल लाने वाली है जिसे 40 संशोधन के साथ सदन के पटल पर रखा जाएगा। पहले खबर आई कि इसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा। लेकिन तमान अटकलों, अनुमानों और बयानों के बीच आखिरकार मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश कर दिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया। विधेयक, पारित होने पर, सरकार को वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने में एक बड़ा अधिकार देगा, और विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक और कठोर बताते हुए विरोध किया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक कठोर और संविधान पर मौलिक हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक समुदायों के बीच धार्मिक विभाजन और नफरत पैदा करेगा।

ताजमहल को लेकर वक्फ ने किया था दावा

वक्फ और वक्फ की संपत्तियों को लेकर हिंदुस्तान में गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है। आपको वो विवाद भी याद होगा जब ये बहस तेज चल पड़ी थी कि ताजमहल वक्फ संपत्ति है या नहीं। साल 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं हैं कि ताजमहल को हमारे नाम किया गया था। लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर ये कहा जा सकता है कि ये वक्फ की संपत्ति है। यदा कदा किसी मुस्लिम धर्म स्थल से जुड़े विवादों में भी सबसे पहले यही तय किया जाता है कि अमुख इमारत वक्फ की है या नहीं? अब तो वक्फ बोर्ड एक्ट में ही बदलाव को लेकर नया बिल लाया गया है। हममें से ज्यादातर लोगों ने वक्फ सुना तो है लेकिन जानते नहीं हैं कि वक्फ होता क्या है? किसी मस्जिद या दूसरे धर्म स्थल के वक्फ होने का मतलब क्या है? क्या वक्फ बोर्ड में तब्दिली का असर मुस्लिम धर्म स्थलों के स्टेटस पर पड़ सकता है। भारत में रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद सबसे बड़ा भू-स्वामित्व वक्फ बोर्ड ही है। सबसे ज्यादा जमीन उन्हीं के पास है।

पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूरों का एक बाग पहला उदाहरण

वक्फ अरबी भाषा के वकूफा से बना शब्द है जिसका अर्थ ठहरना होता है। वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जो जनकल्याण को समर्पित हो। इस्लाम के मुताबिक वक्फ दान का ही एक तरीका है। देने वाला चल या अचल दोनों तरह की संपत्ति दान कर सकता है। यानी एक साइकिल से लेकर बहुमंजिला इमारत कुछ भी वक्फ हो सकता है बशर्ते वो जनकल्याण के मकसद से दान किया गया हो। ऐसे दान दाताओं को वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ ये तय करता है कि जो दान दिया गया है उदाहरण के लिए कोई इमारत तो उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। वाकिफ ये तय करता है कि अमूख वक्फ से होने वाली कमाई गरीबों पर ही खर्च हो। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूरों का एक बाग बनाया गया था जिससे होने वाली आमदनी से मदीना के लोगों की मदद की जाती थी। ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। भारत में इस्लाम के आगमन के साथ ही यहां भी वक्फ के उदाहरण मिलने लगे। दिल्ली सल्तनत के वक्त से वक्फ संपत्तियों का लिखित जिक्र मिलता है। उस जमाने में ज्यादातर संपत्तियां बादशाह के पास होती थी और वही वाकिफ होते थे और वक्फ कायम करते थे।

मुस्लिम शासन के तहत वक्फ

भारत में मुस्लिम शासन के आगमन के साथ, वक्फ की अवधारणा पेश की गई। इस देश में सम्पूर्ण मुग़ल एवं सल्तनत काल में वक्फ प्रबंधन प्रकृति में बहुत ही धार्मिक रूप से केंद्रीकृत रहा। भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से है। जब सुल्तान मुइज़ुद्दीन सैम ग़ौर ने जामा के पक्ष में दो गाँव समर्पित किये। मुल्तान की मस्जिद और उसका प्रशासन शेखुल इस्लाम को सौंप दिया गया। दिल्ली के रूप में भारत में सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंशों का विकास हुआ। मुस्लिम काल के दौरान, फ़िरोज़ शाह तुगलक शासन (1351 से 1388) में वक्फ को संगठित करने के प्रयास किये गये। फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान था वक्फनामा (बंदोबस्ती कर्म) बनाने की प्रथा भारत में फली-फूली। इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान, वक्फ संस्थाओं ने इस्लामी छात्रवृत्ति और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पहली बार कब आया था वक्फ बिल?

1954 में केंद्र सरकार ने वक्फ बिल पारित किया था। फिर 1964 में केंद्रीय वक्फ काउंसिल बनी। 1995 में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड के गठन की इजाजत देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने एक्ट में संशोधन कर वक्फ बोर्ड की शक्तियां और बढ़ा दी। इसके अलावा, 1954 और उसके बाद के अधिनियमों के माध्यम से, वक्फ की अवधारणा के माध्यम से वक्फ की परिभाषा में उपयोगकर्ता एवं वक्फ-अलल-औलाद को जोड़ा गया। कौन सी संपत्तियां स्पष्ट रूप से विशेष रूप से इसके लिए समर्पित नहीं की गई हैं धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों को भी वक्फ माना गया है। इस प्रकार, कुछ संपत्तियाँ, जहाँ दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है, एक प्रमाण मात्र से वास्तविक समर्पण को भी वक्फ माना जाता है

एनडीए सरकार ने पहले क्या कदम उठाए थे?

इससे पहले भी केंद्र की एनडीए सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के व्यापक अधिकार दिए जाने के बारे में संज्ञान लिया था। ज्यादातर राज्यों में ऐसी संपत्ति के सर्वेक्षण में देरी का भी सरकार ने संज्ञान लिया था। पिछली एनडीए सरकार में वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निरगानी की प्रक्रिया में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी शामिल करने पर विचार किया गया था।

संशोधन बिल के प्रमुख बिंदु क्या हैं?- प्रस्तावित बिल में सरकार ने 40 संशोधन किए हैं। सच्चर कमिटी ने अपनी सिफारिशों में राजस्व के साथ-साथ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के मैपिंग की जरूरत पर जोर दिया था। बिल में वक्फ शब्द को कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाले और ऐसी संपत्ति के मलिकाना हक वाले व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा। वक्फ संपत्ति उत्तराधिकार में महिलाओं को भी ऐसी संपत्तियों का उत्तराधिकारी बनाने की बात है। वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए जिला कलेक्टर स्तर अधिकारी फैसला लेगा। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मैजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके। वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू की जांच हो सकेगी।

विवाद की वजह

वक्फ ऐक्ट में बदलाव के लिए लाए जा रहे बिल को लेकर विवाद का सबसे बड़ा बिंदु वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। उनके बीच तालमेल के लिए केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया। यह वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देता है। वर्ष 1995 में वक्फ ऐक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की मंजूरी दी गई। देश के सभी वक्फ बोर्ड के पास फिलहाल 8 लाख एकड़ जमीन है। साल 2009 में यह संपत्ति 4 लाख एकड़ हुआ करती थी। इन जमीनों में ज्यादातर हिस्सों में मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान हैं। दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थीं। अचल सपंत्ति के लिहाज से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड देश में रेल और सेना के बाद तीसरे सबसे बड़े जमीन के मालिक हैं। संशोधन बिल में प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। यह प्रावधान अब तक नहीं था।

किसी भी इस्लामिक देशों में संस्था को इतनी शक्ति नहीं

इस संशोधन की तैयारी लोकसभा चुनाव से पहले से ही हो गई थी। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब सहित किसी भी इस्लामिक देशों में इस तरह की संस्था को इतनी असीमित शक्तियां नहीं दी गई है। बीजेपी इन संशोधनों को गरीब मुस्लिमों के हक में बता रही है।

सामरवरनी पंचायत हॉल सिलवासा में महात्मा ज्योतिबा फुले चॅरिटेबल ट्रस्ट की ओर से माली समाज के संत शिरोमणी सावता माली महाराज की पुण्यतिथी का कार्यक्रम का आयोजन

डेयर टू शेयर
(संवाददाता)

सिलवासा। 03 अगस्त 2024 के दिन सामरवरनी पंचायत हॉल सिलवासा मे महात्मा ज्योतिबा फुले चॅरिटेबल ट्रस्ट की ओर से माली समाज के संत शिरोमणी सावता माली महाराज की पुण्यतिथी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमे नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती रजनीबेन शेट्टी जी,भाजपा प्रदेश महामंत्री सुनिलभाई पाटील जी, शांतुभाई पुजारी,अजय भाई देसाई, के बी महाजन साहेब, उदय सोनवने जी ,आनंद पाटील जी,इंदल पांडे जी, नागेंद्रसिंग जी, आर के नायर जी पत्रकार ललित भाई पटेल जी, मोशन क्लासेस के चैरमन अनिल पाटील जी मनीष जी मराठी मीडियम स्कूल के प्रिन्सिपल मंडलिक सर ओर आदी गणमान्य की उपस्थितीत रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत संत शिरोमणी सावता महाराज जी की पालकी निकालकर की गई। उसके बाद ह.भ.प प्रदीप महाराज वासरेकर इनका मधुर और दिव्य वाणी से भव्य कीर्तन हुआ। शाम 7:30 बजे दीप प्रज्वलन के साथ आए हुए अतिथियों का स्वागत,मनोगत हुआ। इस अवसर पर समाज के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी को भी याद किया गया। समाज के बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, माली समाज के शैक्षणिक और कला क्रीडा क्षेत्र मे अच्छा परफॉर्मन्स देणे वाले बच्चो को सर्टिफिकेट ओर सन्मान चिन्ह देकर सन्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महात्मा ज्योतिबा फुले चैरिटेबल ट्रस्ट के एवं माली समाज के अध्यक्ष सुनिल भाई महाजन के अध्यक्षता में उपाध्यक्ष श्री प्रविण भाई सोनवणे, वासुदेव माली, शांताराम भदाने, प्रकाश निझरे,नारायण महाजन, रविंद्र खैरे,गोपाल टाकरखेडे, गुलाब देवरे, सुरेश माली,प्रविण माळी, रविंद्र गवळे, ओर खास तौर पर माली समाज के सभी युवाओ का बहुत बडा योगदान रहा। कार्यक्रम मे सभी आये हुये अतिथिओ का सन्मान चिन्ह ओर मराठी पारंपरिक पद्धतीसे श्रीफल, शॉल ओर टोपी देकर अभिवादन किया गया। कार्यक्रम के अंत में महाप्रसाद के साथ समापन किया गया। माली समाज द्वारा पिछले 14 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और यह 15 वा साल था।

जय ज्योति जय क्रांति

दानह कांग्रेस ने खस्ताहाल सड़कों पर पौधे एवं भाजपा का झंडा लगाकर जताया विरोध

डेयर टू शेयर, संवाददाता,

सिलवासा। हालहीं में संघ प्रदेश दानह कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सिलवासा शहर की खस्ताहाल सड़कों का अनोखा विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खस्ताहाल सड़कों पर पौधरोपण के साथ साथ भाजपा के झंडे को भी लगाकर सख्त विरोध जताते हुए सड़क मरम्मत की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना था कि जिला प्रशासन, नगरपालिका, जिला पंचायत सड़कों की समस्या से अवगत होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते प्रदेशवासी परेशान होते जा रहे है।

दमण में नशे की हालत में लापरवाह होकर वाहन चलाकर हादसे को देने वाले चालक को 7 साल कारवास की सजा

डेयर टू शेयर, संवाददाता,

दमण। बीते 17 जुलाई 2022 के समय 20:30 के आसपास दलवाड़ा एरपोर्ट रोड, के सामने एक सड़क हादसा हुआ था। जिसमें एक Ecco गाड़ी नंबर GJ-21-AQ-9783 का चालक विकाश सुरेशचन्द्र पाठक जो नशे की हालत मे दलवाड़ा से मशाल चोक की तरफ आते समय पहले Maruti Zen नंबर DD-03-D-1022 को टक्कर मारी, जो देखकर रिपोर्ट कर्ता शिकंदर फागु मंडल ने अपनी मोटर साइकल Passion Pro No. DD-03-J-4521 रोड पर अपनी साइड मे रोक दिया । तभी यह Ecco गाड़ी के चालक ने तेज गति एवं लापरवाही से किसी की भी जानमाल की परवाह किये बिना नशे की हालत मे अपनी गाड़ी चलाकर रिपोर्ट कर्ता की मोटर साइकल Passion Pro No. DD-03-J-4521 खड़ी थी वंहा आकर जानबूजकर टक्कर मार के यह अकस्मात किया, जिसमे रिपोर्ट कर्ता की पत्नी के भाई की चार साल की लड़की को सिर मे गंभीर ईज्ञा होने के कारण घटना स्थल पर उसकी मृत्यु हुई और मोटर साइकल पर बेठे दूसरे लोगों को सामान्य ईज्ञा पहुंची थी।

जिस रिपोर्ट के अनुसंधान मे नानी दमन पुलिस स्टेशन मे गुन्हा रजिस्टर नंबर 65/2022, U/s 279, 304, 337 IPC एवं 177, 184, 185 of MV Act के तहत गुन्हा दर्ज किया गया था । इस संदर्भ मे SHO सोहील जीवानी के नेतृत्व मे जांच अधिकारी एएसआई डाहया हलपती एवं पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुचकर जांच करके यह अपराध में शामिल अभियुकत विकाश सुरेशचन्द्र पाठक, उम्र 29 साल, पता : मास्टर शेरी, नानी दमन। स्थायी पता : जिल्ला-जोनपुर, उत्तरप्रदेश को दिनांक 18/07/2022 के दिन गिरफ्तार किया गया और इस मामले की जांच पूरी कर दिनांक 16/09/2022 को अभियुकत विकाश सुरेशचन्द्र पाठक के ऊपर आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखल किया गया था। इस मामले में मंगलवार 6/08/2024 के दिन पब्लिक प्रोसीक्यूटर हरीओम उपाध्याय की दलील पर माननीय सेशंस जज साहब श्रीधर एम. भोसले ने अभियुकत विकाश सुरेशचन्द्र पाठक को 07 साल की कारवास की सजा सुनाई और साथ में 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

सिलवासा में लाइसेंस निकाले बगैर चलने वाले चिकन, मटन, अंडा और मच्छी की दुकानें बंद करने का आदेश

नगरपालिका ने कराया सर्वेक्षण, आदेश का उल्लंघन पर होगी सीलिंग-50 हजार जुर्माने की कार्रवाई

डेयर टू शेयर, संवाददाता,

सिलवासा। सिलवासा नगरपालिका के संज्ञान में आया है कि सिलवासा नगरपालिका क्षेत्र में कई चिकन, मटन और कंडा तथा मच्छी की दुकानें है जो कि बिना लाइसेंस के चलाई जा रही है। इस संदर्भ में हालहीं में सिलवासा नगरपालिका द्वारा चिकन, मटन, अंडा और मच्छी की दुकानों का एक सर्वेक्षण कराया गया है। जबकि सिलवासा नगरपालिका के सुपरवाइजर द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि सिलवासा नगरपालिका क्षेत्र में कई चिकन,मटन, अंडा और मच्छी की दुकानें अवैध तरीके से बिना लाइसेंस के चलाई जा रही है। ऐसे लाइसेंस का न होना आवश्यक खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने का संकेत देता है, जिससे जनता के लिए संभावित स्वास्थ्य जोखिम पैदा होता है।

इसलिए, सिलवासा नगरपालिका क्षेत्र में चिकन, मटन, अंडा और मच्छी बेचने वाले सभी अनधिकृत दुकानों के मालिकों को सूचित किया जाता है कि इस नोटिस के प्राप्त होने पर अपनी दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें और इसे हटा दें। यदि आपके द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो सिलवासा नगरपालिका द्वारा दादरा नगर हवेली नगरपालिका (संशोधन) विनियम, 2018 के (Chapter-XIX) के अंतर्गत आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दुकान की सीलिंग और 50 हजार रुपए का जुर्माना शामिल है।

15 को लाल किल्ले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दानह एवं दमण-दीव के राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयं सेवकों को किया गया आमंत्रित

डेयर टू शेयर, संवाददाता,

सिलवासा। भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा सचिव डॉ. अरुण टी. के दिशानिर्देशानुसार तथा शिक्षा निदेशक जतिन गोयल के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना सेल , दादरा नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों तथा कोलेजों में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों के द्वारा विभिन्न अभियानों के माध्यम से सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते आ रहें है।

रा.से.यो निदेशालय नई दिल्ली के अनुसार युवा मामले और खेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि 15 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित होने वाले स्वतन्त्रता दिवस समारोह में पूरे भारत से 400 राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंयसेवकों तथा 20 कार्यक्रम अधिकारीओं को सहभागीता के लिए आमंत्रित किया गया है।

इस संबंध में दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के 4 स्वयं सेवकों का चयन हुआ है, जो की विगत वर्ष में इकाइयों के माध्यम से " मेरी माटी मेरा देश", अमृत वाटिका , वृक्षारोपण इतायादी कार्यक्रमों में उत्कृष्टा के साथ सहभागीता की गई थी। शासकीय महाविद्यालय, दमण की कुमारी प्रियंका विश्वकर्मा, शासकीय महाविद्यालय, दीव के अनिरुद्ध धोरदा , शासकीय विद्यालय हिन्दी माध्यम से कृष्णा प्रमोद बैथा तथा शासकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से कुमारी तिषा पंकज लाडे का चयन हुआ है। 3डी के स्वयं सेवक दिनाक 12 अगस्त को नई दिल्ली के स्वतन्त्रता दिवस समारोह के लिए इस रवाना होंगे।

इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक डॉ. कमल कुमार कर, गुजरात तथा दादरा नगर हवेली तथा दमण एवं दीव , गौरांग वोरा, राज्य एन एस एस अधिकारी, दादरा नगर हवेली तथा दमण एवं दीव तथा एन. एस. एस. के सभी पदाधिकारी तथा विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा एन. एस. एस. के कार्यक्रम अधिकारीओं के द्वारा सभी चयनित स्वयं सेवकों को शुभ कामनाएँ दी गई।

मंदिरों-मठों को लेकर बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला, देनी होगी संपत्ति की जानकारी

बीएसबीआरटी राज्य के कानून विभाग के अधीन कार्य करता है। इस मामले पर बोलते हुए, बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को कहा कि सभी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण किया जाए। बिहार सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, इन संस्थाओं को ऑनलाइन लिस्टिंग के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) को अपनी अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। बीएसबीआरटी राज्य के कानून विभाग के अधीन कार्य करता है। इस मामले पर बोलते हुए, बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को कहा, 'सभी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण किया जाए।' उन्होंने जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी पंजीकृत मंदिरों और मठों की अचल संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन प्रकाशन के लिए बीएसबीआरटी को तुरंत प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा, 'मैंने हाल ही में इस संबंध में सभी डीएम को एक पत्र भेजा है। अभी तक केवल 18 जिलों ने बीएसबीआरटी को डेटा प्रस्तुत किया है।' उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में पंजीकृत मंदिरों और मठों की अचल संपत्तियों की बिक्री या खरीद न हो। उन्होंने बताया कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के अनुसार, बिहार में सभी सार्वजनिक मंदिर, मठ, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को बीएसबीआरटी के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार पंजीकृत मंदिरों, मठों या ट्रस्टों की अवैध संपत्ति के लेन-देन में शामिल लोगों के साथ-साथ बीएसबीआरटी के साथ पंजीकरण न कराने वाली अपंजीकृत संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।'

दमण-दीव की आजादी के बाद इतिहास में पहली बार किसी सांसद ने सदन में एम्स अस्पताल उठाई मांग

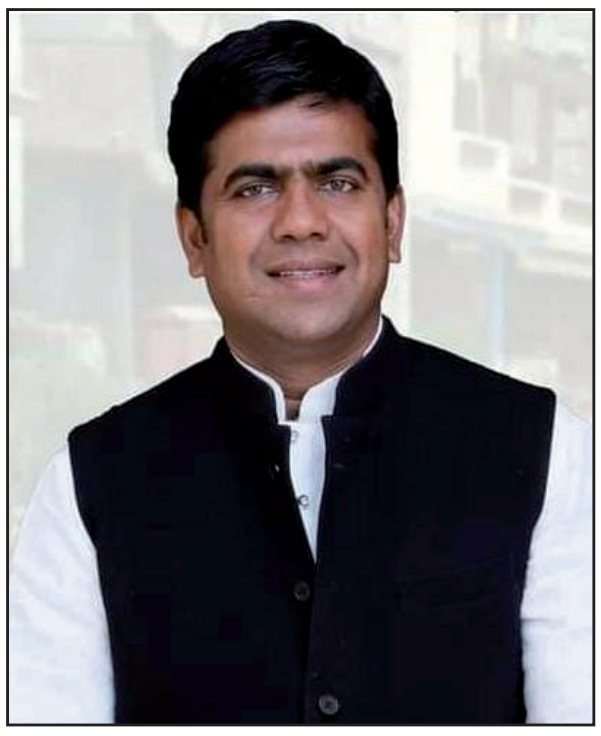

डेयर टू शेयर (संवाददाता)

दमण। दमण-दीव के सांसद उमेश पटेल लगातार हमारे क्षेत्र की समस्याओं को संसद में उठा रहे हैं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र दमण-दीव के स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न मांगें रखी। इसी क्रम में उमेश पटेल ऐसे सांसद है जिन्होंने दमण-दीव की आजादी के बाद इतिहास में पहली बार संसद में दमण-दीव के लिए एम्स अस्पताल की मांग रखी। सांसद ने वर्ष 2024.25 के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बजट की अनुदान मांगों पर बोलते हुए सदन को बताया कि आजादी के 63 वर्ष बाद भी हमारे छोटे से प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति अत्यंत दयनीय है। छोटे-मोटे इलाज के लिए हमें गुजरात और महाराष्ट्र पर निर्भर रहना पड़ता है। अब हमारे सरकारी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता, जो बहुत दुखद है। इसी तरह उन्होंने मेडिकल कॉलेज के संबंध में कहा है कि हमारा मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इन कॉलेजों में नियमित स्टाफ की कमी के कारण आज मेडिकल कॉलेज बंद होने की कगार पर है। बताया जा रहा है कि इंडियन मेडिकल काउंसलिंग ने पत्र दिया है कि अगर फैकल्टी को नियमित नहीं किया गया तो कॉलेज बंद कर दिया जाएगा। सांसद ने सरकार से बजट की कमी होने पर विशेष बजट उपलब्ध कराने और बजट में प्रावधान नहीं होने पर प्रावधान कर बजट उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को मान्यता रद्द होने से रोका जाएं। सांसद उमेश पटेल ने कहा कि दमण-दीव देश के मानचित्र पर चावल के दाने के समान है और इतने छोटे क्षेत्र के लोगों को मुफ्त इलाज नहीं मिलता है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब लोगों को सरकारी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज नहीं मिलता तो गरीबों को कहां इलाज मिलेगा ? सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से दमण और दीव के बाहर आयुष्मान कार्ड काम नहीं करता है। कहा जा रहा है कि प्रशासन समय पर पैसे का भुगतान नहीं कर रहा है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। आज मैं सरकार के सामने दो दर्दनाक मामले रखना चाहता हूँ, मुझे 7 दिन पहले एक उत्तर भारतीय व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा कि उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब है और वे उसे इलाज के लिए वापी गुजरात के हरिया अस्पताल में ले आए हैं। लेकिन उसके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं और उसने कहा कि उसके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है और अब जब वह आयुष्मान कार्ड बनवाने गया तो उसे आयुष्मान कार्ड बनाने से मना कर दिया गया। कहा गया कि आयुष्मान कार्ड केवल 3 महीने के लिए वैध है। 3 महीने के बाद कार्ड जारी नहीं किए जाते। मैंने उसे अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा। मैंने उससे बात की और उसे भर्ती कर लिया। लेकिन यह सब करने में समय लग गया और महिला बिना इलाज के ही मर गई। मैं एक बात और कहना चाहता हूं 20 दिन पहले मेरे पास एक गरीब व्यक्ति का फोन आया जिसने मुझे दर्दनाक बात बताई कि मैं अपनी बहन को इलाज के लिए लाया हूं जो मर चुकी है। मैं उसे दमण लाना चाहता हूं लेकिन सरकारी एंबुलेंस 2000 रूपए मांग रही है और मेरे पास केवल 50 रुपये और रोने लगा। फिर मैंने मदद की। लेकिन स्थिति यह है कि हमारे क्षेत्र में लोग इलाज के बिना मर रहे हैं और मरने के बाद उन्हें चिकित्सा सहायता भी नहीं मिल रही है। उन्होंने सरकार से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और एम्बुलेंस और सबवे जैसी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है। साथ ही नए बनाए गए या रिन्यू कराए गए आयुष्मान कार्ड की वैधता केवल 3 महीने है। इसे पूरे साल के लिए किया जाएं और आयुष्मान कार्ड निजी अस्पतालों में भी मान्य हो और आयुष्मान कार्ड के लिए 5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाए और यह भी अनुरोध है कि या सरकारी अस्पतालों में नर्सों की कमी है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सहयोगी स्टाफ की भारी कमी है, जो भी भर्तियां लंबित हैं, जो स्वीकृत पद खाली हैं इसे तुरंत भरा जाए और हमारे मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भर्ती नियमित हो। हमारे क्षेत्र के लोगों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमारे क्षेत्र में एम्स अस्पताल स्थापित करने हमारे क्षेत्र के लिए विशेष बजट के साथ-साथ क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पूर्ण बजट प्रदान करने की एक बड़ी मांग की।

श्रीमती देवकीबा मोहनसिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस के 10वें स्थापना दिवस पर इंडिया स्पेस सागा- 2024 कार्यक्रम आयोजित

20 स्कूलो से करीब 250 विद्योर्थियों ने कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिता में लिया हिस्सा, इसरो से आए वैज्ञानिक नें छात्रों को अतंरिक्ष विज्ञान ते विषय में किया जागरूक

डेयर टू शेयर (संवाददाता)

सिलवासा। दादरा नगर हवेली के श्रीमती देवकीबा मोहनसिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस में 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्पेस अप्लीकेशन सेंटर इसरो के सहयोग से इंडिया स्पेस सागा- 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि 23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान-3 के चंद्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। अंतरिक्ष विभाग पूरे देश में पहले अंतरिक्ष दिवस पर व्यापक समारोह आयोजित करने की योजना बना रहा है। इस ऐतिहासिक घटना को मनाने और भारतीय युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में शामिल करने, प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए, इस वर्ष से बैंगलोर स्थित इसरो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और अंतरिक्ष अनुसंधान को जनता तक ले जाने की पहल के रूप में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है।

कॉलेज के छात्रो को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष रूचि जगाने के लिए श्रीमती देवकीबा मोहनसिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस में सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक इंडिया स्पेस सागा- 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान करीब वापी, दमण, सरीगाम सहित के 20 विद्यालयो से करीब 250 से भी ज्यादा छात्रो ने हिस्सा लिया। अतरिक्ष संबंधि विषय पर कविता लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिता हुआ। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले छात्र सम्मानित हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि इसरो वैज्ञानिको ने चन्द्रयान 3 के विषय में बहुत ही विस्तृत प्रस्तुति दीया गया

और अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में छात्रो के जिज्ञासाओं को शांत किया उन्हें स्पेश के संबंध में जानकारिया दीं।

इस दौरान स्पेस अप्लिकेशन सेंटर अहमदाबाद से इसरो वैज्ञानिक नितेष थापा और जलश्री देसाई ने उपस्थित सभी को अंतरिक्ष विज्ञान और चंद्रयान मिशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान-3 के चंद्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। आज एक साल पूरा होने के उपलक्ष में हम यह पूरा महिना नेशनल स्पेस डे के रूप में मना रहे हैं।जिसके उपलक्ष में इस कॉलेज में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां हम बच्चो को यह बताना चाहते हैं जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसा कोई नही है जो कि हमारे देश के विकास में अतरंक्षि के प्रोग्राम में योगदान नही दे सकत। स्पेस के संबंध में लगता था कि वह अचिवबेल नही है वहां पहुंचा नही जा सकता, लेकिन वहां अब छोटे-छोटे गांव के बच्चे पहुंच रहे हैं। अंतरिक्ष विज्ञान केन्द्र इसरो पर विभिन्न क्षेत्र से लोग अपने काबिलियत से आ सकते हैं और देश के भविष्य को बढ़ा सकता है।

इस कार्यक्रम में संस्था के वाईस- चेयरमैन श्री अनंत राव निकम , लायंस इंगलिश स्कूल की प्रभारी प्राचार्या श्रीमती निराली पारेख , हवेली इंस्टिट्यूट ऑफ़ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च की प्रभारी प्राचार्या श्रीमती शिल्पा तिवारी , ऐकडेमिक कौंसिल की हेड श्रीमती निशा पारेख, श्रीमती देवकीबा मोहनसिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस की इंचार्ज प्रिंसिपल डॉ. सीमा पिल्लई, इंचार्ज वाईस प्रिंसिपल डॉ. जान्हवी आरेकर सहित सभी स्टाफ उपस्थित रहे।बता दें कि लायंस क्लब ऑफ सिलवासा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन फतेहसिंह चौहान अपने कॉलेज के छात्र-छात्राओं के लिए एक से बढ़कर एक बेहतर प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हैं। आज का ये आयोजन महाविद्यालय के सफल 10 वर्षों का उदाहरण है जहां इसरो जैसी विश्वपटल पर अपना परचम लहराने वाली संस्था ने महाविद्यालय को चुना । स्कूल और कॉलेज के छात्रों का विद्यार्जन के साथ-साथ सभी सामाजिक विषयो पर भी मजबूत पकड़ हो, सभी क्षेत्रो में उनके छात्र अपने हुनर को पहचाने और उस पर काम कर अपनी प्रतिभा को निखार सके इसके लिए सभी जरूरी संसाधन मुहैया यहाँ करवाते जाते रहे हैं। इसी संदर्भ में श्री फ़तेहसिंह जी चौहान जी के मार्गदर्शन में आयोजित यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशकः संध्या चौहान द्वारा 15,78, सी-6-2, खारीवाड नानी दमण (दमण एवं दीव) से प्रकाशित तथा ताप्तीलोक पब्लिकेशन, 152,153, श्री राम इंडस्ट्रीयल इस्टेट, मोजे भेडवार, पांडेसरा, सूरत से मुद्रित।
संपादक : मनोज रावल, मोबाइल नं. 8000360011 (पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी) किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दमण होगा।